

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र०, लखनऊ ।

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत अंकित बिन्दु संख्या-01 से बिन्दु संख्या-17 तक के सम्बन्ध में सूचना/अभिलेखों को उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने विषयक:-

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:डीजी-14-ज०सू०अ०-पुलिस वेबसाइट/2020 दिनांक:21.12.2021 के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार कार्यालय महानिरीक्षक, चित्रकूटधाम, बोंदा की निम्नलिखित सूचना उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रकाशित किये जाने हेतु निम्नवत् प्रेषित है।

1- परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

2- जन सूचना अधिकारी की शक्तियां/कार्य-जन सूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अन्तरित किया जाना।

सहायक जन सूचना अधिकारियों की शक्तियां/कार्य-अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना, जन सूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना।

3- प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित करना या सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना।

4- निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त करना और समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना।

5- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।

6- दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-

- कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- पंजीकृत डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- शासन/अन्य से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- अपीलीय प्रार्थना पत्र।

7- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।


8- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

9- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।

- 10- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 11- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 12- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 13- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 14- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 15- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
 16- परिक्षेत्र स्तर पर जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी के पदनाम एवं कार्यों का विवरण:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्य
1-	श्री एस०के० भगत	पुलिस महानिरीक्षक/ अपीलीय अधिकारी	पर्यवेक्षण अधिकारी
2-	श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव	निरीक्षक(लिपिक)/प्रधान लिपिक/नोडल अधिकारी /जनसूचना अधिकारी	1-जनसूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अन्तरित किया जाना या सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना। 2-जनसूचना से सम्बन्धित समस्त कार्य करना (समस्त अभिलेखों का रख-रखाव करना, आलेख प्रस्तुत करना, अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को कम्प्यूटर में अद्यतन करना।
3-	श्री रमेश कुमार वर्मा	निरीक्षक(लिपिक)/सहायक लिपिक प्रथम/सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी को अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना।

- 17- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।


 जनसूचना अधिकारी
 कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक,
 चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बोंदा।